निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 127/अपील/20

बापूलाल पुत्र बरधा लोधा नि0 रात्याडूंगरी तहसील बकानी(अपीलान्ट)
बनाम
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.09.2020 न्यायालय तहसीलदार बकानी मि0न0 546/20

उपस्थित:– श्री अमरसिंह लववशी, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांक: 08.02.2021**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.09.2020 जो मिसल न0 546/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम रात्याडूंगरी तहसील बकानी की आराजी ख0न0 642 की .01 बीघा किस्म चरागाह पर पक्का मकान निर्माण का अतिकमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 3/– रूपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत एवं सार सग्रंह होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सेकण्ड ट्रेस पास मानकर भूल की है, प्रार्थी को वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया है और सनुवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना जमा कर दिया गया है वर्तमान में भूमि पड़त पडी हुई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवादी है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर से कब्जा हटा कर इस बाबत शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर देगें। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर पक्का मकान निर्माण द्वारा अतिक्रमण कर गांव के पशुओं को चरने से वंचित रखा गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न0 1271 निर्णय दिनांक 04.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिकमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दोराने बहस यह व्यक्त किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी पर से कब्जा छोड दिया है मान्य नही है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार आराजी पर पक्का मकान कब्जा यथावत है इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा आराजी पर से अतिक्रमण नही हटाया जाना साबित है व अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़